

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 1204]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938

No. 1204]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/VAISAKHA 26, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिस्चना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

का.आ. 1779(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 32 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि 500 के वी.ए. से अधिक क्षमता के किसी विद्युत उत्पादन स्टेशन अथवा विद्युत उत्पादन यूनिट (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयों सहित) के सभी संस्थापनों का निरीक्षण वैद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 23/23(ii)/2014-आर एंड आर] ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016.

S.O. 1779(E).— In exercise of the powers conferred by regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Central Government hereby specifies that all installations of a generating station or generating unit (including generating units producing electricity from renewable sources of energy) of the capacity exceeding 500 kVA, shall be inspected by the Electrical Inspector.

[F. No. 23/23(ii)/2014-R&R] JYOTI ARORA, Jt. Secy.